महत्वपूर्ण एवं खास

कौशल विकास कोर्स में प्रवेश हेतु सारंगढ़ में 21 जून को होगा काउंसिलिंग

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर आईटीआई सारंगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाना है। सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण पुरषोत्तम स्वर्णकार से प्राप्त जानकारी अनुसार आईटीआई सारंगढ़ में इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन एवं प्लंबर जनरल (असिस्टेंट) में आठवीं आवेदक को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस कोर्स के लिए काउंसलिंग जनपद पंचायत सारंगढ़ के सभाकक्ष में 21 जून 2024 को सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है। इस प्रशिक्षण को सीखने के इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि और समय पर अंक सूची, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित होना है। आवेदक को इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन में प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार डॉमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं फिटर फैब्रिकेशन में प्रशिक्षण हेतु आवेदक का न्यूनतम योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

बारहवीं उत्तीर्ण एसटी एससी युवाओं से इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा निशुल्क कोचिंग हेतु आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण युवा जो ड्रॉप लेकर इंजीनियरिंग (पीईटी, जेईई) और मेडिकल (पीएमटी, नीट) प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए निशुल्क कोचिंग हेतु आवेदन आमंत्रित है। 01 जुलाई 2024 तक शाम 4 बजे तक सारंगढ़ के कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित "सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है। इसमें 100 अभ्यर्थी का चयन किया जाना है, जिसमें 64 एसटी और 36 एससी वर्ग के अभ्यर्थी होंगे। आवेदन पत्र, विज्ञापन, पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र, परिणाम आदि की जानकारी वेबसाइट tribal.cg.gov.in ट्राइबल डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन से प्राप्त किया जा सकता है।

बोर वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। रिंग रोड नंबर 3 ग्राम टेकारी चौक के पास बोर वाहन ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में विधानसभा पुलिस ने बोर वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक चित्रकुमार यादव 23 वर्ष ग्राम बिलाड़ी का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी रिंग रोड नंबर 3 टेकारी चौक के पास बोर वाहन क्रमांक टीएन 34 पी 2238 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे चित्रकुमार की मौत हो गई। सूचना पर मौके में पहुंची विधानसभा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अज्ञात वाहन की ठोकर से सायकिल सवार बुजुर्ग की मौत

रायपुर (आरएनएस)। नया बस स्टेण्ड खरोरा के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से सायकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक हरी सिंह मारकण्डे 70 वर्ष ग्राम माठ का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह अपनी सायकिल से कहीं जा रहा था, तभी नया बस स्टेण्ड खरोरा के पास अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्रदेश के सभी स्कूलों में बनाया जाएगा स्मार्ट क्लासरूम - बृजमोहन अग्रवाल

- छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में किए जायेंगे महत्वपूर्ण बदलाव, विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने की होगी प्रयास
- 'मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री से स्वीकृति के बाद जल्द शुरू होगी 33 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया'
- शिक्षा मंत्री ने ली स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ में नये शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती, वेतन विसंगति, पदोन्नति, नई शालाओं के निर्माण समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर जानकारी ली।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं राज्य में शिक्षकों के 33 हजार रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके साथ ही राज्य में वेतन विसंगति और संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानपाठक (माध्यमिक शाला) की पदोन्नति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। मंत्री ने इन सारी विसंगतियां को जल्द से जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

मंत्री अग्रवाल ने सभी शासकीय और गैर शासकीय स्कूलों में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम को निर्देश देते हुए कहा कि पुस्तकों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए, वहां से सभी स्कूलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही भेज दिया जाए। उन्होंने प्रदेश के जर्जर होते स्कूलों की बिल्डिंग और नए भवनों के निर्माण के लिए डीएमएफ और सीएसआर मद से कार्य कराने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों के लिए शिक्षा विभाग की अलग से इंजीनियरिंग सेल निर्माण प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई-क्लास रूम बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का पीएम योजना के तहत अपग्रेडेशन करने के निर्देश दिए हैं।

अग्रवाल ने राज्य के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मैथ्स, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं की समय-समय पर जाँच एवं निरीक्षण करने को भी कहा एवं अशासकीय शालाओं में आर.टी.ई. के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने अशासकीय शालाओं में शुल्क वृद्धि, गणवेश, पुस्तक खरीदी एवं आर.टी.ई के तहत प्रवेश में गड़बड़ी न हो इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने को भी कहा जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और नियम विरूद्ध कार्य करने वाले शालाओं के विरुद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर निजी विद्यालयों को अनुदान देकर विद्यार्थियों को इसमें शिक्षा दिलाने पर जोर दिया।

शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक शैक्षणिक सत्र में दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कमजोर बच्चों के लिए जिला स्तर पर कोचिंग केंद्र खोलने की बात कही। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर शुरू करने के भी निर्देश दिए। विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा का सही ज्ञान देने के लिए भाषा एक्सपर्ट की नियुक्ति के साथ ही जिन क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है उसे तत्काल पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभाग को शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण के लिए निर्देश दिए। साथ ही डाईट सेंटर का फिर से कायाकल्प किया जाएगा और जरूरत पडऩे पर दूसरे राज्यों से भी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को बुलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में समन्वय के लिए एक समिति बनाने को भी कहा है। अग्रवाल ने अधिकारियों से अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन ञ्च 2047" विजन डॉक्यूमेंट को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही न्योता भोज कार्यक्रम की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक संजीव झा, लोक शिक्षण संचालक दिव्या मिश्रा, एससीईआरटी संचालक राजेंद्र कटारा, प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम कुलदीप शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल पुष्पा साहू एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ व्यापमं 23 जून को लेगा पीपीटी एंट्रेस एग्जाम

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की ओर से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए पीपीटी परीक्षा का आयोजन 32 जिला मुख्यालयों में होगा। परीक्षा 23 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। छात्र अपनी प्रोफाइल में जाकर प्रवेश पत्र 17 जून से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी प्रवेश पत्र व्यापमं की वेबसाइट एवं चिप्स की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक में से किसी भी लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्नूस् के माध्यम से एक संक्षिप्त यूआरएल भी भेजा जाएगा। अभ्यर्थी इस यूआरएल को क्लिक कर अपने मोबाइल पर सीधे प्रवेश पत्र प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। व्यापमं के मुताबिक, परीक्षा दिवस को सभी परीक्षार्थी लगभग एक घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना है। उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने के लिये अनुमति दी जा सके।

हेल्पलाइन नंबर जारी- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के संबंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट अवश्य निकालें। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित हो जाएं।

एग्जाम सेंटर पर ये डाक्यूमेंट्स लाना जरूरी- परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आईडी प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड / पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ट्रैलर चालक से बाइक सवार युवकों ने की लूटपाट,जुर्म दर्ज

कोरबा (आरएनएस)। जिले में मानिकपुर रेलवे फाटक बंद होने पर द्वितीय प्रवेश द्वार के पास खड़े ट्रैलर के चालक से बाइक में पहुंचे दो युवको द्वारा लूटपाट करने का आरोप लगाया गया हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जानकारी के अनुसार कोरबा-चांपा मार्ग के उरगा थाना अंतर्गत ग्राम मौहार निवासी मनीष कुमार यादव सतगुरू ट्रांसपोर्ट कोरबा में वाहन चालक है, जो सीजी-12 -बीएच- 4995 नंबर की ट्रैलर को चलाता है। वह अपने साथी ड्राइवर राम खिलावन कंवर के साथ उक्त ट्रैलर में गेवरा खदान से कोयला लेकर रायगढ़ के लिए रवाना हुआ था। मुड़ापार बायपास से गुजरते समय तडक़े पांच बजे मानिकपुर रेलवे फाटक बंद मिला। मनीष ने ट्रैलर को रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार के पास खड़ा कर दिया। इस दौरान बाइक में दो लोग वहां पहुंचे, जो ट्रैलर के दोनों दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। इनमें से एक ने चाकू दिखाते हुए मारने-पीटने का भय दिखाया, जिसके बाद वे मनीष के पास रखे 3 हजार रुपए, मोबाइल सहित राम खिलावन के जेब से 12 हजार व उसका मोबाइल भी लूट लिया। उक्त घटना की रिपोर्ट मानिकपुर चौकी में लिखाई गई। पुलिस ने मामले में कथित आरोपियों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर लिया है।

घटना में विपक्षी दल का हाथ, जांच चल रही, आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा

रायपुर | आरएनएस

बलौदाबाजार घटना को लेकर प्रदेशभर में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही. इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, बलौदाबाजार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसमें विपक्षी दल का हाथ है. अभी मामले की जांच चल रही है. जांच में जो दोषी होगा। उस पर कार्रवाई होगी.

मंत्री कश्यप ने कहा, कानून से कोई नहीं बच सकता. दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस पर सरकार का प्रयास है. कांग्रेस पूरी प्रकरण को लेकर आज प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है. ये वही लोग हैं, जो वहां पर पीछे से उनको सपोर्ट किए. भडक़ाने का काम किए. अब पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे. सीएम और गृहमंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

कांग्रेस में अब तक नहीं हुई हार की समीक्षा. इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही, क्योंकि उनको पहले से पता था कि उनकी हार होगी तो समीक्षा क्या करेंगे? कांग्रेसी हार के कारण से इस तरह से उपद्रव करने वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. ऐसी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं. विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस को करारी हार मिली है, जिसकी बौखलाहट से कांग्रेस किसी भी हद तक उतर रही. भाजपा ऐसे आपराधिक तत्व को संरक्षण नहीं देगी। मंत्री मंडल के विस्तार पर केदार कश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है.

आईटीआई के ट्रेनिंग अफसरों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने कहा - नौकरी से निकालने का आदेश अवैधानिक

बिलासपुर | आरएनएस

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आईटीआई के ट्रेनिंग अफसरों को निकालने के आदेश को अवैधानिक बताया है. शासन की अपील खारिज होने पर आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता. डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए शासन की अपील को निरस्त कर दिया है.

दरअसल, आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को आठ साल सेवा करने के बाद विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. दुर्गेश कुमारी, महेश, टिकेन्द्र वर्मा हेमेश्वरी, शालिनी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक ने 10 जनवरी 2013 को आदेश जारी किया और प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर परीविक्षा अवधि में नियुक्ति दी थी. इसमें दो साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति दी गई.

करीब आठ साल बाद 6 अक्टूबर 2021 को तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के निदेशक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि 10 जनवरी 2013 को जारी आदेश छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम, 1998 के प्रावधानों के खिलाफ है, इसलिए धारा 14 के आधार पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाता है.

इस मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर सरकारी सेवकों की तरह पुष्टि की गई है. उन्होंने अपनी संबंधित सेवाओं के 8 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं. वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत गारंटीकृत संवैधानिक संरक्षण के हकदार हैं और इस प्रकार उनकी सेवाओं को केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री ने पांच निशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

- दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगी स्वास्थ्य की आपातकालीन सुविधाएं

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए 5 नि:शुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा संचालित नि:शुल्क एम्बुलेंस की संख्या बढक़र अब आठ हो गई है। क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को अब आपातकालीन सुविधा 24 घंटे 7 दिन मिलेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और विधायक पुरन्दर मिश्रा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। विधायक भावना बोहरा की पहल से अपने एक और वादे को पूरा करने का हमें अवसर मिला है। नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौरी, पंडरिया, पांडातराई, दुल्लापुर एवं कुंडा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं आपातकालीन सेवा मिलेगी। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इससे किसी भी विषम परिस्थिति में मरीजों को त्वरित सेवा मिलेगी। जनहित के ऐसे प्रयास के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय भावना बोहरा की गारंटी सेवा संकल्प पत्र में हमने स्वस्थ एवं समृद्ध पंडरिया के उद्देश्य को सार्थक करने हेतु पंडरिया विधानसभा में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का संकल्प किया था और आज मुझे बहुत ही ख़ुशी हो रही है कि आप सभी के सहयोग एवं समर्थन से हम अपने इस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि रणवीरपुर एवं आदिवासी व वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर में पहले से ही तीन नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है और अब तक हजारों परिवारों को इस आपातकालीन सेवा का लाभ मिल रहा है। आपातकालीन समय में मरीजों को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर लाने-ले जाने के साथ ही बहुत से ऐसे मरीज थे, जिन्हें बेहतर उपचार हेतु रायपुर व अन्य जिलों में भी इस एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाने की सुविधा मिली है। इसके साथ ही पूर्व में संचालित एक नि:शुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब एवं महाविद्यालयीन छात्राओं हेतु महाविद्यालय से घर आने-जाने हेतु तीन नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा दी जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

10 करोड़ का स्टील लेकर नहीं किया भुगतान, धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

रायपुर | आरएनएस

राजधानी के एक स्टील कारोबारी अनूप अग्रवाल से उधार में 10.17 करोड़ रुपये का स्टील लेकर रकम नहीं देने वाले 5 व्यापारियों के खिलाफ तेलीबांधा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

तेलीबांधा पुलिस थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार मौलश्री विहार निवासी अनूप अग्रवाल (42) सर्वमंगला इंफ्राबिल्ड प्रा.लि. के डायरेक्टर हैं। कंपनी का काम स्टील सामग्री की खरीद-बिक्री का है। पिछले साल कुशल डुडेजा नामक व्यक्ति उनसे कार्यालय में मिलने आया। उसने कहा कि आपकी कंपनी से स्टील सामग्री की आपूर्ति करवाकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मेरी मध्यस्थता के लिए मुझे लाभांश देना होगा। जिस पर अनूप ने कुशल को बैठक करने को कहा। इसके बाद कुशल डुडेजा और स्टील कारोबारी राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, प्रिंस शर्मा की अनूप के साथ बैठक हुई।

पार्टनरशिप का झांसा देकर किया धोखाधड़ी- आरोपित कारोबारियों ने अनूप के साथ बैठक में दावा किया था कि उनके परिवार की छत्तीसगढ़ और हरियाणा के हिसार में स्टील का कारोबार करने वाली कंपनियां और प्लांट हैं। इसलिए काफी बड़ी-बड़ी मात्रा में स्टील सामग्रियों का हमेशा आर्डर रहता है, यदि आपकी कंपनी हमारे बताए अनुसार स्टील सामग्री की आपूर्ति नियमित रूप से करती रही, तो कुछ ही समय में हम लोग आपकी कंपनी के साथ दशभर में कार्य करने के लिए पार्टनरशिप करेंगे। इस दौरान कुशल डुडेजा ने अनूप से फोन पर कुछ व्यक्तियों की बातचीत भी कराई। आरोपी ने यह भी कहा कि स्टील सामग्री का बिल सत्या आयरन एंड स्टील प्रायवेट लिमिटेड, हथखोज(भिलाई) के नाम से बनेगा। इस कंपनी के डायरेक्टर राजेश शर्मा और उनकी पत्नी अंजू शर्मा हैं। आरोपितों के झांसे में आकर अनूप ने 14 जनवरी 2023 से स्टील (फिनिश्ड गुड्स) की आपूर्ति करना शुरू कर दिया। शुरू में आरोपित कारोबारियों ने विश्वास जमाने के लिए उधार में लिए गए स्टील सामग्री का भुगतान भी किया। जब बकाया 10.17 करोड़ रुपये हो गया तब आरोपितों ने अचानक से भुगतान करना बंद कर दिया। राजेश व कुशल से बकाया रकम मांगने पर टालमटोल करने लगे। इसके बाद अनूप ने स्टील सामाग्री की आपूर्ति बंद कर दी। इस बीच आरोपितों ने आश्वासन दिया कि यदि बकाया रकम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो फिनिश्ड गुड्स उपलब्ध करवा देंगे।

कई कारोबारियों को लगाया करोड़ों का चूना- अनूप के मुताबिक फरवरी-2024 के बाद फिर से आरोपित पैसे का भुगतान करने में टालमटोल करने लगे। तब उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत करने की बात कही। जिस पर आरोपितों ने 15 मई 2024 तक बकाया चुकाने की बात कही, लेकिन इस अवधि के बीत जाने के बाद भी पैसे नहीं दिए। शंका होने पर अनूप ने हथखोज स्थित सत्या आयरन एंड स्टील प्रा.लि. कार्यालय और प्लांट जाकर पता किया तो दोनों बंद मिले। वहां मौजूद कई कारोबारियों ने आरोपितों द्वारा लाभ दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की स्टील सामाग्री उधार में लेकर फैक्ट्री व प्लांट बंद कर फरार होने की जानकारी दी। राजेश शर्मा के वालफोर्ट हाइट्स, भाठागांव स्थित मकान भी बंद मिला।